

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 375]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 जुलाई 2017—श्रावण 2, शक 1939

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2017

क्र. 1017-77-सीसी-17-अड़तीस.—पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (क्र. 28 सन् 2016) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल में प्रथम कुलपति की नियुक्ति से संबंधित यह आदेश जारी करती है कि उक्त विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति राज्य सरकार के परामर्श से माननीय कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार द्वारा संस्तुत पैनल में से की जाएगी।

No. 1017-77-CC-17-XXXVIII.—In exercise of the powers conferred by Section 41 of the Pandit S. N. Shukla University Act, 2016 (28 of 2016), the State Government hereby issues the following order relating to the appointment of first Vice-Chancellor in Pandit S. N. Shukla University, Shahdol that the first Vice-Chancellor of the said University shall be appointed by the Hon'ble Chancellor in consultation with the State Government from the panel recommended by the State Government.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री मिश्रा, अपर सचिव,